(167)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–426–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–02–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–1197/निग0/1996–97

.....

1– श्रीमती गोढ़ा बेगम पति स्व0 अन्सार खां(मृतक) वारिसान–
   1. रूकसाद खां तनय स्व0 अन्सार खां
   2. बौरा खां तनय स्व0 अन्सार खां
   3. नटवर खां तनय स्व0 अन्सार खां
   4. मुनुआ पुत्री स्व0 अन्सार खां

2– इसरार खां तनय सरदार खां

3– इरसाद खां तनय सरदार खां

निवासीगण– ग्राम नईगढ़ी, थाना नईगढ़ी,
तहसील–मऊगंज, जिला–रीवा(म0प्र0)

——आवेदकगण

विरूद्ध

1– फकीरमुल्ला खां तनय निजामुद्दीन

2– ईशु अहमद तनय निजामुद्दीन

3– श्रीमती ईदा पुत्री निजामुद्दीन

4– श्रीमती मन्नोनिशा पुत्री निजामुद्दीन

5– श्रीमती नज्जो पुत्री निजामुद्दीन

6– श्रीमती गरीबुन्निशा पुत्री निजामुद्दीन

7– श्रीमती सुम्मतनिशा पुत्री निजामुद्दीन

निवासीगण–ग्राम चकरीन टोला, तहसील मऊगंज
जिला–रीवा(म0प्र0)

——अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—02—2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम नईगढ़ी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 3064/5 रकबा 4.25 एकड़ एवं खसरा नं0 3065/5 रकबा 2.00 एकड़ की भूमि का नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र संहिता की धारा 109—110 के अंतर्गत अपर तहसीलदार नईगढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 3/अ—6/1988—89 में दिनांक 10.07.89 से अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया। अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.07.89 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जहाँ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 120/अ—6/1988—89 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 13.12.96 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि स्वतः स्थल निरीक्षण कर गुण—दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.12.96 से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1197/निग0/1996—97 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2007 से निगरानी स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण

ने विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 109-110 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि का नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा विधिक रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन भी किया । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि बटवारा पुल्ली दिनांक 19.07.1982 में मृतक सरदार खॉ के हस्ताक्षर भी बने है। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को इस आधार पर प्रत्यावर्तित किया है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जबकि विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया था, इसके पश्चात ही आदेश पारित किया था, जो विधिसंगत है। अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश का गंभीरतापूर्वक परिशीलन न करते हुये प्रत्यावर्तित आदेश पारित किया है, जो कि अवैधानिक है। इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है तथा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 13.02.2007 विधिसंगत होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,